न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील विस्फो0 अनु0 187/2019/अजमेर (2019/00187)

अवतार सिह पुत्र स्व0 श्री हरनाम सिंह, निवासी आगरा गेट, अजमेर

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 6–च विस्फोटक नियम 1884 सपठित धारा 121 विस्फोटक नियम 2008 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर क्रमांक कअ/न्याय/विस्फोटक/2019/82 दिनांक 03–06–2019

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थीया
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 26-10-2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के नाम आतिशबाजी क्रय विक्रय करने हेतु विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत फार्म 24 में स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 02/1997 स्थल 410/18 आगरा गेट, अजमेर के लिए जारी किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण 1997 से लगातार किया जा रहा था। जो दिनांक 31–3–2019 तक नवीनीकृत है। अपीलार्थी ने दिनांक 1–4–2019 से 31–3–2024 तक की अवधि के लिए उक्त अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष दिनांक 30–1–2019 को आवेदन पत्र

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत किया तथा नवीनीकरण शुल्क 2500/— वास्ते आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र जरिये केश चालान द्वारा राजकोष में जमा कराया गया। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने उक्त आवेदन पत्र पर पुलिस अधीक्षक, अजमेर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 01 दिनांक 22—4—2019 व अग्निशमन अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक 94 दिनांक 14—5—2019 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए दिनांक 03—06—2019 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के नाम जारी स्थाई आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र संख्या 02/1997 को निरस्त करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने प्रश्नगत आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया तथा सबूत तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया । इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विस्फोटक अधिनियम 1884 सपठित नियम 2008 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने जो जांच रिपोर्ट तैयार की है उससे पहले उनका कोई भी प्रतिनिधि मौके पर जांच करने नहीं गया एवं ना ही उक्त मौका रिपोर्ट अपीलार्थी की उपस्थिति में तैयार की गई है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट को आधार मानकर जो आदेश पारित किया गया है वह विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि विस्फोटक नियम 2008 के नियम 116 में अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण से इन्कार किये जाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसमें उल्लेखानुसार "किसी अनुज्ञप्ति के संशोधन या नवीनीकरण से इन्कार करने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे इन्कार करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा तथा अनुज्ञापन अधिकारी किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इन्कार करेगा यदि ऐसी अनुज्ञप्ति अधिनियम या इन नियमों के अनुसार प्रतिसंहत की जा सकती है। किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इन्कार करने के कारणों का संक्षिप्त कथन मांग किये जाने पर अनुज्ञप्तिधारी को दिया जायेगा किन्तु ऐसी मामलों में नहीं, जबकि अनुज्ञापन अधिकारी की यह राय हो कि ऐसे कथन प्रस्तुत किया जाना लोकहित में नहीं होगा। जहां अनुज्ञप्तिधारी के नवीनीकरण से इन्कार कर दिया जाता है तो वही नवीनीकरण के लिए संदत फीस अनुज्ञप्तिधारी को उस अवधि के लिए अनुपातिक फीस काट देने के पश्चात लौटा दी जावेगी जो उस तारीख तक की है

Scanned with CamScanner

जिसको उसके नवीनीकरण से इन्कार किया गया है। उक्त नियम के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इन्कार करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का एक अवसर दिया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने नियम 116 में दी गई प्रक्रिया की पालना किये बिना ही अपीलार्थी का स्थाई अनुज्ञापत्र निरस्त करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान ही नहीं किया गया है।

उनका यह भी कथन है कि विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 में केवल निम्न आधारों पर ही स्थाई अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जा सकता है:—

अनुज्ञप्ति का निलंबन और प्रतिसंहरण या रद्धकरण— (1) इन नियमों के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति रद्द हो जायेगी यदि (क) किसी अुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्त परिसरों पर विधिपूर्ण कब्जे का कोई अधिकार समाप्त हो चुका है। (ख) कोई अनुज्ञप्तिधारी किन्ही दाण्डिक अपराधों के अधीन सिद्धदोष या दण्डादिष्ट किया गया है या दण्ड प्रकिय्रा संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन अच्छे व्यवहार के लिए परिशांति कायम रखने के लिए किसी बंधपत्र का निष्पादन करने के लिए आदेशित किया गया हो। (ii) रद्द हो जायेगी, यदि कोई निराक्षेप प्रमाण पत्र नियम 115 के अनुसार ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसने उसे जारी किया था या जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा रद्द किया गया है। (iii) इस अधिनियम या इन नियमों या ऐसी अनुज्ञप्ति में किसी शर्त के किसी उल्लंघन पर अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा या केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिए समुचित आधार है तो निलंबन या रद्करण किये जाने के लिए दायी होगा। (2) कोई निलंबन या रद्दकरण उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा। (3) किसी अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण के किसी आदेश का तामील होना समझा जावेगा यदि वह अनुज्ञपित में प्रविष्टि अनुज्ञप्तिधारी के पते पर डाक द्वारा भेजा गया है। अपीलार्थी का परिसर 410/18 आगरा गेट अजमेर में स्थित है जिस पर अपीलार्थी को आतिशबाजी बेचने का स्थाई अनुज्ञापत्र मिला हुआ है। अपलार्थी का उक्त परिसर पर आज भी विधिपूर्ण कब्जा है।

अपीलार्थी को दण्डित अपराधों के लिए कभी भी सिद्धदोष या दण्डादिष्ट नहीं किया गया है तथा ना ही अच्छे व्यवहार के लिए किसी बंधपत्र का निष्पादन करने के लिए आदेशित किया गया है। अपीलार्थी ने अनुज्ञापत्र के लिए वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है एवं ना ही जिला मजिस्ट्रेट, के किसी आदेश/निर्देश का उल्लंघन ही किया है।

अपलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित किये गये आदेश का अवलोकन यह दर्शाता है कि प्रार्थी द्वारा फाईल किये गये आवेदन की अस्वीकृति के लिए एक मात्र कारण यह है कि पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने अनुज्ञप्ति जारी करने की अनुशंषा जारी नहीं की। अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन आवश्यक रूप से स्वयं अपने मैरिट पर निर्धारित किया जाना

Scanned with CamScanner

होता है। अपीलार्थी को उक्त परिसर में आतिशबाजी का विक्रय करने के लिए वर्ष 1997 से स्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया है जिसकी शर्तो की अक्षरश पालना की जा रही है और इन परिस्थितियों के आधार पर वर्ष 1997 से लगातार स्थाई अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण होता आ रहा है। पूर्व की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने अपनी रिपोर्ट में जो परिसर की स्थिति का उल्लेख किया है वह स्थिति वर्ष 1997 में भी वहीं थी उसके पश्चात लगातार अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के वक्त भी स्थिति वहीं है और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आगरा गेट, अजमेर काफी खुला एवं विस्तृत क्षैत्र है। अपीलार्थी का परिसर उप सड़क पर है जो काफी बड़ी है वहां पर आवाजाही भी बहुत कम है।

अपीलार्थी अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के नाम जो स्थाई अनुज्ञा पत्र कमांक 02/1997 जारी किया गया है उसमें समय-समय पर विस्फोटक अधिनियम एव नियमों में किये गये संशोधनों व विद्यमान प्रावधानों की अवहेलना करने पर अनुज्ञापत्र को निरस्त व निलंबित किया जा सकता है। इसी अनुज्ञापत्र के पीछे शर्त अंकित है इन शर्तो का उल्लघंन करने पर भी अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जा सकता है। अपीलार्थी ने विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटकनियम 2008 के किसी भी प्रावधानों एवं शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं किया है। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने अपनी रिपोर्ट पत्र कमाक 01 दिनांक 22-4-2019 में किस आधार पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं करने के लिए अनुशंषा की है उसका उल्लेख जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03-06-2019 में नहीं किया है तथा ना ही अपीलार्थी को जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट से अवगत कराया है। यह रिपोर्ट मौके पर उपस्थित होकर जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर के प्रतिनिधि द्वारा तैयार नहीं कराई गई है। इस रिपोर्ट पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी नहीं है इससे यह सिद्ध है कि मौका रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है जिसके कारण वास्तविक स्थिति को दरकिनार करते हुए तथा विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 1997 से जो स्थाई अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण होता आ रहा है उसे बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश में केवल मात्र यह निष्कर्ष दिया कि जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने प्रस्तावित स्थल को विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत जन सुरक्षा व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाया गया है। इस बारे में अपीलार्थी पुनः माननीय का ध्यान विस्फोटक नियम 2008 के नियम 116 की ओर आकर्षित करना चाहता है जिसके अनुसार अपीलार्थी ने नियम 116 में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है इसलिए जो आदेश पारित किया गया है वह वास्तविक तथ्यों एवं रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों एवं मौके की स्थिति के विपरीत पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता का यह भी कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश में नियमों/मापदण्डों की पूर्ति नहीं होने व जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को जारी स्थाई अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। जिला

Scanned with CamScanner

मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में उन नियमों व मापदण्डों का उल्लेख नहीं किया है जिसकी पूर्ति अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने अपने निर्णय में यह भी अंकित नहीं किया कि अपीलार्थी के मामले में जन सुरक्षा को कैसे खतरा है अपीलार्थी को जिस स्थल के लिए अनुज्ञापत्र दिया गया है उस स्थल की परिस्थितियां पिछले 30 वर्षो से समान रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में केवल अपीलार्थी के अनुज्ञापत्र को निरस्त करना उचित एवं विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के नाम जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 02/1997 का नवीनीकरण कराने के लिए दिनांक 1–4–2019 से 31–3–2024 तक नवीनीकरण करने के लिए अपीलार्थी ने जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के समक्ष आवेदन किया तो आवेदन करने के पश्चात अपीलार्थी को नवीनीकरण फीस राशि रूपये 2500/– जमा कराने के आदेश दिये गये। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में दिनांक 30–01–2019 को राशि चालान द्वारा राजकोष में जमा करवा दी गई। उसके पश्चात जिला मजिस्ट्रेट अजमेर कार्यालय से अपीलार्थी के नाम जारी स्थाई अनुज्ञा पत्र के बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थी यह मानकर चल रहा था कि अपीलार्थी के नाम जारी अनुज्ञा पत्र वर्ष 2024 तक नवीनीकरण किया जा चुका हैं। लगभग 6 माह व्यतीत होने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 03–06–2019 को अपीलार्थी के नाम जारी स्थाई अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/न्याय/विस्फोटक/2019/82 दिनांक 03–06–2019 निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी के नाम जारी स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 02/1997 का नवीनीकरण दिनांक 01–4–2019 से 31–3–2024 तक कराये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान प्रत्यर्थी/राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के तहत ही दीपावली पर्व पर पटाखा व्यवसायियों को पटाखे का क्रय–विक्रय करने हेतु संबंधित पुलिस थाना, तहसीलदार एवं पटवारी हलका एवं शहरी क्षैत्र में नगर पालिका/नगर परिषद की रिपोर्टो के आधार पर विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत ही स्थाई एवं अस्थाई विस्फोटक लाईसेंस जारी व उनका नवीनीकरण किया जाता है। अपीलार्थी के उक्त प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक 01 दिनांक 22–4–2019 द्वारा अनुज्ञप्ति मे प्रस्तावित स्थल को विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत जन सुरक्षा व निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाया जाने से अनुज्ञा पत्र को आगामी अवधि हेतु नवीनीकरण नहीं किये जाने में असहमति व्यक्त की गई है। उक्त रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए आगरा गेट, अजमेर पर अत्यधिक भीड़ होने एवं अनहोनी की संभावना को मध्यनजर रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक कअ/न्याय/ विस्फोटक/

Scanned with CamScanner

2019/82/दिनांक 03–06–2019 द्वारा अपीलार्थी के स्थाई अनुज्ञापत्र संख्या 02/1997 को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी के नाम आतिशबाजी क्रय विक्रय करने हेतु विस्फोटक नियमों के अन्तर्गत फार्म 24 में स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 02/1997 स्थल आगरा गेट, अजमेर के लिए जारी किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलार्थी को जारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण 1997 से लगातार किया जा रहा था। अपीलार्थी के द्वारा आगामी अवधि 1–4–2019 से 31–3–2024 तक स्थाई अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर से जांच रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने अपनी जांच रिपोर्ट क्रमाक 01 दिनांक 22–4–2019 में उल्लेखित किया है कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र की जांच कराई गयी। जांच रिपोर्ट अनुसार आवेदक की दुकान आगरा गेट अजमेर जो आबादी तथा भीड़ भाड के मध्य स्थित है। किसी तरह की अनहोनी या आगजनी होने पर आम आदमी की सम्पत्ति व जीवन पर खतरा हो सकता है। प्रस्तावित स्थल पर उपलब्ध अग्निशमन यंत्र अनहोनी या आगजनी होने पर विस्फोटक को रोकने में सक्षम नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेखित किया है कि जांच करवाई गई लेकिन जांच किस अधिकारी से एवं किससे करवाई गई का अंकन नहीं है तथा जांच रिपोर्ट के साथ जांच अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी को आवंटित अनुज्ञापत्र के प्रस्तावित स्थल की जांच किसके सामने एवं किस दिनांक को की गई इससे स्पष्ट है कि उक्त जांच रिपोर्ट बिना जांच अधिकारी की रिपोर्ट के तैयार की गई है। अग्निशमन अधिकारी, अजमेर द्वारा नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 पार्ट 4 के आधार पर संधारण कर लिया जाता है तो अग्निशमन विभाग को स्थाई अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख किया है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम अजमेर की रिपोर्ट को अनदेखा कर केवल पुलिस अधीक्षक, अजमेर की एकतरफा रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश पारित किया है जो पूर्णरूप से विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

Scanned with CamScanner

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 अनुसार अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञापत्र तब ही निरस्त कर सकता है जब उसका अनुज्ञप्ति में धारित कब्जे पर अधिकार समाप्त हो चुका हो, या अनुज्ञप्तिधारी को पुलिस विभाग द्वारा आपराधिक कृत्य करने पर दण्ड दिया गया हो या लोक शांति भंग करने का प्रयास किया गया हो या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्फोटक अधिनियम की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया हो। उक्त तथ्यों के आधार पर ही अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है कि अपीलार्थी को कभी आपराधिक कृत्य के लिए दण्ड दिया गया है और न ही अपीलार्थी द्वारा विस्फोटक नियमों के अन्तग्रत किसी भी शर्त का उल्लंघन ही किया है। अपीलार्थी द्वारा जब विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 की किसी भी शर्त का उल्लंघन ही नहीं किया है साथ ही अपीलार्थी द्वारा जिला कार्यालय के निर्देशानुसार नवीनीकरण किये जाने की राशि रूपये 2500/- भी चालान द्वारा दिनांक 30-01-2019 को राजकोष में जमा कराने के बावजूद भी जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा वर्ष 1997 से वर्ष 2018 तक लगातार हो रहे अपीलार्थी अनुज्ञप्ति संख्या 02/1997 का स्थाई अनुज्ञा पत्र केवल पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्ट को आधार मानकर निरस्त करना न्यायोचित नहीं है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य सभी विभागों से प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर समग्र रूप से विवेचन उपरान्त आख्यात्मक आदेश (Speaking order) पारित किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-06-2019 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) अजमेर का आदेश क्रमांक कअ/न्याय/विस्फोटक/2019/82 दिनांक 03-06-2019 विधिसम्मत नही होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित का अवसर प्रदान करे तथा जिला पुलिस अधीक्षक, नगर निगम से अपीलार्थी के प्रस्तावित मौका स्थल की पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उसका भलीभांति अध्ययन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

Scanned with CamScanner